प्रेस नोट **28/01/2024**

चोरी की 04 मोटरसाइकिल व मोटरसाइकिल का एक इंजन के साथ दो अपचारी किशोर पुलिस अभिरक्षा में–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अविनाश पाण्डेय के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 27.01.2024 को थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान परासखाड़ के पास से एक मोटरसाइकिल सवार दो व्यक्तियों को चेकिंग के दौरान रूकवाया गया। जांच के दौरान ज्ञात हुआ कि उक्त वाहन दिनांक 26.01.2024 को वलीदपुर में बीएमडी कॉलेज के पास चोरी हुयी थी। जब वाहन सवार से पूछताछ किया गया तो पता चला कि वह दोनो किशोर है। अग्रीम पूछताछ में दौरान यह भी ज्ञात हुआ कि इन दोनो किशोरों के कब्जे में जगह–जगह से चोरी हुयी कुल 03 अदद अन्य मोटरसाइकिल तथा एक मोटरसाइकिल का इंजन भी है, यह लोग जगह जगह से मोटरसाइकिल चुरा कर उसक पार्ट को अलग अलग करके कबाडी वालों को बेच देते है। उक्त अपचारी किशोरों के निशानदेही पर तीन मोटरसाइकिल व एक मोटरसाइकिल का इंजन बरामद किया गया। इस सम्बन्ध में थाना मुहम्मदाबाद पर सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

बरामदगी–

1. एक सुपर स्पेलेण्डर (बिना नम्बर प्लेट)।
2. एक टीवीएस रेडान (बिना नम्बर प्लेट)।
3. एक स्पेलेण्डर (HR06J 6071)।
4. मोटर साइकिल का एक इंजन।

बरामदकर्ता पुलिस टीमः–

प्रभारी निरीक्षक मुहम्मदबाद धर्मेन्द्र कुमार सिंह, उ0नि0 राजनरायण पाण्डेय, उ0नि0 राजेश कुमार वर्मा, हे0का0 उदय प्रकाश यादव, हे0का0 मंजीत यादव, का0 शशांक कुमार, का0 विवेक सिंह, का0 प्रदीप मिश्रा, का0 अनुराग यादव, का0 चन्द्रभान यादव, का0 मु0 बेलाल थाना मुहम्मदाबाद।

फर्जी वैकेंसी निकाल कर नौकरी दिलाने के नाम पर रूपयों की ठगी करने वाले गिरोह के तीन अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 28.01.2024 को थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान कम्युनिटी हाल मऊ से मु0अ0सं0 35/24 धारा 419,420,467,468,471 भदावि0 में वांछित अभियुक्तगण आनन्द सिंह पुत्र स्व0 अवध सिंह निवासी बबुरा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़, रसूल मुहम्मद पुत्र झिलमिट निवासी कोतवाल नगर जनपद आजमगढ़ तथा सौरभ पुत्र लालसा निवासी जहानागंज थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

उल्लेखनीय है कि थाना स्थानीय पर वादी द्वारा सूचना दिया गया था कि कुछ व्यक्ति कृषि एवं पर्यावरण अनुसंधान संस्थान (कपास) के नाम पर फर्जी वैकेंसी निकाल कर दिनांक 13.11.2023 को लखनउ में एक विद्यालय में परीक्षा कराये है और दिनांक 28.01.2024 को कम्युनिटी हाल में ज्वाइनिंग लेटर देने हेतु बुलाए है और ज्वाइनिंग के नाम पर पैसों की मांग कर रहे है और लोगो से आनलाइन रूपये भी लिए है। इन लोगों द्वारा आप–पास के कई जिलों के अभ्यर्थियों से ठगी की गयी है।

चोरी के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार–

दिनांक 27.01.2024 को थाना कोपागंज अन्तर्गत दोस्तपुरा में एक व्यक्ति के घर चोरी करने के नियत से दरवाजा तोडने के आरोप में एक अभियुक्त मतीउल्लाह पुत्र अनवर अहमद निवासी दोस्तपुरा थाना कोपागंज जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 24/25 धारा 380,511 भादवि0 का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

04 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 28.01.2024 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना कोपागंज पुलिस द्वारा चन्द्रीका पुत्र जगरनाथ विश्वकर्मा, अनिल विश्वकर्मा पुत्र चद्रीका निवासीगण इन्दरा थाना कोपगंज, थाना घोसी पुलिस द्वारा हीरा राजभर पुत्र खरपन्तु निवासी कुचहरा थाना घोसी तथा थाना कोतवाली पुलिस द्वारा रमेश सिंह पुत्र स्व0 राजनायण सिंह निवासी निजामुद्दीपुरा थाना कोतवाली जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।